संख्या: 594/2023/1292/35-4-2023/001-35-4099/41/2022

प्रेषक,

डॉ0संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक:30 मार्च,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद इस सम्बंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत 16 राजकीय आई0टी0आई0 भवन के निर्माण कार्यों में से जनपद-कौशाम्बी में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या-38/2020/509/35-4-2021, दिनांक 28 मार्च, 2020 (क्रमांक-2) कार्य के साथ पठित शासनादेश संख्या-64/2022/173/35-4-2022,दिनांक 25 फरवरी, 2022 उक्त कार्य की पुनरीक्षित लागत रू. 1157.37 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू. 444.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-128/2021/1262/35-4-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू.111.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-174/2021/1596/35-4-2021,दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू.277.52 लाख तथा शासनादेश सं0-193/2022/636/35-4-2022 दिनांक 22.06.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू.231.47 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार विचाराधीन कार्य की पुनरीक्षित लागत रू. 1157.37 लाख के सापेक्ष अब तक कुल रू.1064.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा पत्र सं0-675/लो0नि0वि0लो0नि0वि0, प्रा0ख0-कौशा0/2023 दिनांक 16 मार्च, 2023 तथा पत्र सं0-3069/1ई0/लो0नि0वि0लो0नि0वि0, प्रा0ख0-कौशा0 /2022 दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 द्वारा उक्त शासनादेशों द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू. 1064.01 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना तथा कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक होना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू.93.36 लाख (रूपये तिरानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व मे अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
जनपद कौशाम्बी के वि0स0 क्षेत्र-चायल के ग्राम मोहद्दीनपुर गौस उपरहार में राजकीय आई0टी0आई0 का भवन निर्माण कार्य	1157.37	1064.01	93.36

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020, 25 फरवरी, 2022, 18 अगस्त, 2021, 08 अक्टूबर, 2021एवं 22.06.2022की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 93,36,000 (रूपये तिरानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4250002030302 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:594 /2023/1292(1)/35-4-2023/001-35-4099/41/2022तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।

4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।

7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।

8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी ।

10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी कौशाम्बी ।

11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कौशाम्बी ।

13- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निमार्ण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी ।

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।